न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 1/2024

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1. संजय भाट पुत्र सांवरा निवासी हाथी पट्टा पोस्ट फार्कीया, श्रीनगर, अजमेर
2. मनोज सिंह रावत पुत्र बिरदी चन्द निवासी नसीराबाद, भवानीखेड़ा अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी राजकीय पेरोकार
2. श्री मनोज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी

सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन सं. आर.जे. 01 सीई–5985 रिलिज बाबत

–ःआदेशः–

दिनांक 20.03.2024

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा वाहन रिलिज हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाहन संख्या आर.जे.01 सीई 5985 इको वेन 5 स्टार को रसद विभाग अजमेर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 13.01.2024 को सीज किया गया तथा वाहन स्टार्ट नहीं होने से वहां रखा हुआ था। अतः वाहन को रिलिज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि श्रीमान् जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेशानुसार अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पर दिनांक 13.01.2024 को नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी के नवास स्थान फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दीवान का भट्टा अजमेर पहुॅचे। श्री जहीरूद्दीन के विरूद्ध शिकायत इस आशय से प्राप्त हुई थी कि उसके द्वारा वाहनों में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जाती है। जहॉ मोके पर जांच दल पहुॅचा तो मकान के पीछे खुले स्थान (बाडा) में दो वाहन मारूति इको एवं मारूति वैन में घरेलू गैस सिलेण्डर के जरिये इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मोके पर वाहन मारूति इको, ग्रे कलर, रजिस्टर्ड नम्बर आर.जे.01 सीई 5985 में गाडी के पिछले हिस्से में लगे गैस किट में ठीक उसी प्रकार से दूसरी अवैध गैस रिफिलिंग मशीन से इलेक्ट्रिक तार से जुडी घरेलू लाल गैस सिलेण्डर से मारूति इको में गैस भरी जा रही थी। इस वाहन में उपयोग लिये जा रहे सिलेण्डर के एस. आर.नम्बर 854385 कम्पनी बीपीसीएल, जिसका वजन 16.5 Kg, Tear Weigth 15.5 Kg है। इस वाहन का चालक श्री संजय भाट पुत्र सांवर भाट निवासी श्रीनगर, अजमेर से अवैध गैस रिफिलिंग के बारे में जानकारी ली, जिसके बयान लिए गए। मानव जीवन के लिए अत्यत घातक श्री जहीरूद्दीन का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों तथा एलपीजी आदेश 2000 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ऐसी स्थिति में राजहित में दोनो वाहन मारूति इको, ग्रे कलर रजिस्टर्ड नम्बर आर.जे. 01 सीई 5985, मारूति वैन गोल्डन कलर आर.जे.14 यू. ए. 0613 दो इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन, 39 गैस सिलेण्डर एवं 500 प्लास्टिक कैप को मौजूदगी में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कब्जेराज लिया गया। दोनो

जिला कलक्टर,
अजमेर

वाहन पुलिस थाना गंज अजमेर को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किये गये। जब्तशुदा 39 सिलेण्डर, 500 कैप, दोनो रिफिलिंग मशीन अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु ख्वाजा गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री प्रकाश चन्द खैतावत पुत्र श्री पूरणचन्द खैतावत, निवासी डिग्गी बाजार, रैगरो का मौहल्ला, खेतावत चौक, अजमेर को सुपुर्द किये गये। श्री जहीरूद्दीन ने मौके पर अपने बयान में यह स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने पुनः गैस रिफिलिंग का अवैध करोबार शुरू किया और औसतन दिन में 10–12 वाहनों में गैस रिफिलिंग करता है तथा प्रत्येक सिलेण्डर भरने के 50/– रूपये लेता है। श्री संजय भाट वाहन चालक, मारूति इको, ग्रे कलर रजि0 नम्बर आर.जे.01 सीई 5985 ने मौके पर अपने बयान में बताया कि मै हमेशा इसी स्थान से गाड़ी में गैस रिफिलिंग करवाता हूँ और और गैस रिफिलिंग के श्री सलीम को 1100 रूपये देता हूँ। अतः जब्तशुदा वाहन मारूति इको, ग्रे कलर, रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.01 सीई 5985 को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करे।

जवाब में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन संख्या आर.जे.01 सीई 5985 इक्को वेन 5 स्टार को रसद विभाग अजमेर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दिनांक 13.01.2024 को सीज किया गा तथा वाहन स्टार्ट नहीं होने से वहां रखा हुआ था। अतः वाहन को रिलिज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया उक्त वाहन संजय भाट को सवारी गाडी लाने ले जाने हेतु उपयोग व उपभोग हेतु दे रखा था। उक्त वाहन को रिलिज नहीं किया तो परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जायेगी। सुपुदर्गीनामा पर वाहन छोड़े जाने का प्रार्थना पत्र में भूलवश संजय भाट दर्ज हो गया है। अतः संजय भाट के स्थान पर प्रार्थी वाहन स्वामी मनोज सिंह रावत किये जावे। साथ ही मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या आर.जे.01 सीई 5985 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग को रोकने के तहत दिनांक 13.01.2024 को नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक सहित संयुक्त जांच दल श्री जहीरूद्दीन खिलजी उर्फ सलीम पुत्र कुतुबुद्दीन खिलजी के निवास स्थान फॉयसागर चौकी के सामने वाली गली, दीवान का भट्टा अजमेर पहुँचे। वरवक्त मौके पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। श्री संजय भाट वाहन चालक, मारूति इको, ग्रे कलर रजि0 नम्बर आर.जे. 01 सीई 5985 ने मौके पर अपने बयान में बताया कि मै हमैशा इसी स्थान से गाडी में गैस रिफिलिंग करवाता हूँ और गैस रिफिलिंग के श्री सलीम को 1100 रूपये देता हूँ। वक्त जांच मौके पर एक मारूति आर.जे. 01 सीई 5985 खडी पाई मौके पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी जब्तशुदा आर.जे.01 सीई 5985 को पुलिस थाना गंज को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी। प्रार्थी ने मारूति कार को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त आर.जे.01 सीई 5985 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिंग मशीन की सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी ने वाहन सुपुर्दगीनामा पर देने के सबंध में वाहन आर.जे.01 सीई 5985 को अवैध गैस रिफलिंग पदार्थ कारोबार में लिप्त एवं अप्रार्थी अवैध गैस भरवाने हेतु आर.जे.01 सीई 5985 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को जब्त वाहन आर.जे.01 सीई 5985 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की

जिला कलक्टर,
अजमेर

कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ये नीलामी निस्तारण किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर